Gyanvividha, Vol.-3; Issue-1 (Jan.-March) 2026 : PP-177-180

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-4.5
Vol.-3; Issue-1 (Jan.-March) 2026
Page No.- 177-180
©2026 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

Author's :

सुधांशु सिंह

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली.

Corresponding Author :

सुधांशु सिंह

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली.

आज़ाद भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

शोध सार : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक असहिष्णुता के बीच संघर्ष भारतीय समाज में तीव्र रूप से प्रकट होता है जहाँ राज्य पुस्तकों फिल्मों, और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों पर सेंसरशिप लगाकर लेखकों, फिल्म निर्देशकों और शिक्षाविदों को पीड़ित करता है। वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूलाधार है जो नागरिकों को विचार, मत और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत इस स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें स्वतंत्र मीडिया, साहित्यिक विकास तथा न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका प्रमुख है। साथ ही राजनीतिक दबाव, कानूनी प्रतिबंध, सामाजिक असहिष्णुता और डिजिटल माध्यमों से उत्पन्न नई समस्याएँ इस स्वतंत्रता के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। इस शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वास्तविक स्थिति, उसकी प्रमुख उपलब्धियों तथा समकालीन चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है।

बीज शब्द : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, मीडिया, सेंसरशिप, डिजिटल युग, अधिकार।

मूल आलेख : मनुष्य के मनोभावों और विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया को अभिव्यक्ति कहा जाता है। अभिव्यक्ति की आकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है और यह उसके भावनात्मक, वैचारिक तथा बौद्धिक जीवन से प्रेरित होती है। कई बार यह आकांक्षा इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति एकांत में भी स्वयं से संवाद करने लगता है। किंतु अभिव्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता और उसका सामाजिक स्वरूप तब स्पष्ट होता है, जब वह व्यक्तियों

अथवा समूहों के बीच संवाद का माध्यम बनती है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही विचारों का आदान-प्रदान होता रहा है। विचारों के इस प्रवाह ने न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास को गति दी है, अपितु समाज को सामाजिक चेतना भी प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप समाज का क्रमिक विकास संभव हुआ। यद्यपि सभ्यता के इतिहास में अभिव्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता बहुत कम अवसरों पर ही प्राप्त हुई है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य मुख्यतः दो प्रकार के संवाद से है पहला मीडिया के माध्यम से होने वाला सार्वजनिक और सूचनात्मक संवाद तथा दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर विचारों और मतों की अभिव्यक्ति। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचनाओं का स्वतंत्र और निर्बाध प्रवाह राष्ट्र की प्रगति पर गहरा प्रभाव डालता है, विशेषकर वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्रों में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस को 'चौथा स्तंभ' कहा गया है, क्योंकि वह राजनीतिक गतिविधियों पर सतत निगरानी रखता है और लोकतंत्र को सही दिशा प्रदान करता है। लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका द्विस्तरीय होती है। एक ओर वह रचनात्मक प्रवृत्तियों के निर्माण में सक्रिय योगदान देता है और जनता के माध्यम से सरकार को प्रभावित करता है दूसरी ओर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराता है। यदि सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम राष्ट्रीय या सामाजिक हितों के प्रतिकूल हों, तो प्रेस के माध्यम से सरकार को जन-आलोचना का सामना करना पड़ता है। मानवीय गरिमा की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक अनिवार्य अधिकार माना गया है। यह संयोग नहीं है कि भारत सहित विश्व के अनेक देशों में संवैधानिक स्तर पर नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों के रूप में उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है, ताकि मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके और उनके हितों की उन्नति एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव की बौद्धिक चेतना और लोकतांत्रिक चेतना का अनिवार्य तत्व है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि विदेशी शासन के दौरान लोकमान्य तिलक का एक उद्घोष भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का महामंत्र सिद्ध हुआ "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा" । इसी सूत्र को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने अपने आवाहन से एक नए कर्मयोग में बदल दिया "तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे"। इसके आगे का पथ प्रदर्शन 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में गांधीजी के "करो या मरो" ने किया। ये तीनों उद्घोष स्वाधीन भारत की आत्मचेतना के बुनियादी तत्व हैं।

हमारे संविधान में विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता को आज़ादी के पांच आयामों के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाकी सभी स्वतंत्रताओं की आधारशिला के रूप में महत्व दिया जाता है। हम अपने अनुभवों और विचारों की अभिव्यक्ति से ही समाज से सम्बन्ध और संवाद स्थापित करते हैं। बिना अभिव्यक्ति के अधिकार के समाज में सिर्फ प्रभुत्वशाली लोगों की बातें गूंजती हैं। बाकी सब चुप्पी में जीते हैं। सत्ताधीशों का निरंकुश वर्चस्व चलता है। इसीलिए अभिव्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य पर रोक तानाशाही के लिए जरूरी और लोकतंत्र के लिए जहर है। अभिव्यक्ति के अधिकार पर खतरा बाकी सभी नागरिक अधिकारों के लिए खतरे की घंटी होता है। दूसरे शब्दों में अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा किसी भी स्वतंत्र देश की पहली जरूरत और नागरिक समाज की जिम्मेदारी है। यह व्यक्ति को न केवल अपने विचार प्रकट करने का अवसर देती है, बल्कि शासन व्यवस्था, सामाजिक रुढ़ियों और सत्ता संरचनाओं की आलोचना करने का नैतिक एवं संवैधानिक अधिकार भी प्रदान करती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे राष्ट्र में यह स्वतंत्रता सामाजिक संतुलन और लोकतांत्रिक सहभागिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने एक ऐसे लोकतांत्रिक ढाँचे को अपनाया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं को केंद्रीय महत्व दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार भाषण, लेखन,

मुद्रण, दृश्य-श्रव्य माध्यमों तथा डिजिटल प्लेटफार्मों तक विस्तृत है।

हालाँकि, अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, नैतिकता, मानहानि, न्यायालय की अवमानना तथा संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी दिया गया है। इस प्रकार संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करता है।

स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उपलब्धियाँ : स्वतंत्र भारत में प्रेस ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टी.वी. चैनलों और डिजिटल मीडिया ने शासन की नीतियों, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सामाजिक समस्याओं पर जनचर्चा को प्रोत्साहित किया है। खोजी पत्रकारिता ने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्यिक आंदोलनों का विकास हुआ। प्रगतिशील, दलित, आदिवासी और स्त्रीवादी साहित्य ने समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज़ को मुखर किया। सिनेमा, रंगमंच और कला ने भी सामाजिक यथार्थ को सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया। भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए इसे लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त माना है। न्यायालयों ने यह प्रतिपादित किया है कि आलोचना और असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति है। साथ ही डिजिटल क्रांति ने अभिव्यक्ति को व्यापक और सुलभ बनाया है। सोशल मीडिया, ब्लॉग और ऑनलाइन मंचों ने सामान्य नागरिक को भी सार्वजनिक विमर्श में भागीदारी का अवसर प्रदान किया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियाँ : राजद्रोह, आईटी अधिनियम, मानहानि और सेंसरशिप से संबंधित कानूनों का दुरुपयोग कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। अस्पष्ट कानूनी प्रावधान रचनात्मक स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं।पत्रकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर वैचारिक दबाव तथा आलोचनात्मक विचारों को राष्ट्र विरोधी ठहराने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत चिंताजनक है। धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के नाम पर विरोध, धमकी और हिंसा की घटनाएँ बढ़ी हैं, जिससे अभिव्यक्ति का वातावरण संकुचित होता जा रहा है। फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, साइबर उत्पीड़न और ऑनलाइन निगरानी जैसी समस्याएँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नए आयाम प्रस्तुत करती हैं। इससे स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन एक गंभीर प्रश्न बन गया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक दायित्व : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संवैधानिक होने के साथ-साथ नैसर्गिक अधिकार भी है। यदि कोई हमारे इस अधिकार का हनन करता है, तो न्यायालय हमें इसकी रक्षा प्रदान करता है। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी अनिवार्य है। यह संभव नहीं कि लोकतंत्र हो, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सशक्त विपक्ष की भी आवश्यकता होती है, जो सत्ता के कार्यों से असहमति प्रकट करे और जनहित में वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करे। यही भूमिका मीडिया की वाणी निभाती है।

किन्तु यह भी सत्य है कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी जुड़े होते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, उसके प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं। संवैधानिक सेंसरशिप आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोककर समाज में वैमनस्य और सांप्रदायिक टकराव की संभावनाओं को कम करती है।

इंटरनेट पर सेंसरशिप सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में सहायक हो सकती है, क्योंकि यह अवैध गतिविधियों और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद करती है। इस दृष्टि से यह समाज की स्थिरता के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। कुछ अवैध संगठन या व्यक्ति भ्रामक सूचनाएँ फैलाकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति को क्षति पहुँचा सकते हैं। आतंकवादी और चरमपंथी तत्व तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर जनता को भ्रमित कर सकते हैं

तथा इंटरनेट के माध्यम से भय और आतंक का वातावरण बना सकते हैं।

समाज में नैतिकता के संरक्षण में भी सेंसरशिप की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। यह झूठी मान्यताओं और अफवाहों के प्रसार पर रोक लगाकर सामाजिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। सरकार, सेंसरशिप के माध्यम से, ऐसी भ्रामक सूचनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन को सीमित कर सकती है और इससे होने वाली हानिकारक गतिविधियों की पहुँच को नियंत्रित कर सकती है। इंटरनेट सेंसरशिप अनुचित और भ्रामक सामग्री को ऑनलाइन फ़िल्टर करने का कार्य भी कर सकती है।

निष्कर्ष : आज़ाद भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संवैधानिक प्रावधानों, न्यायपालिका की सक्रियता और साहित्यिक-सांस्कृतिक विकास ने इस स्वतंत्रता को मजबूत आधार प्रदान किया है। किंतु समकालीन सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों और तकनीकी परिवर्तनों के कारण नई चुनौतियाँ उभर रही हैं। आवश्यक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा संवैधानिक मर्यादाओं और सामाजिक सौहार्द के साथ की जाए, ताकि लोकतंत्र की आत्मा सुरक्षित और जीवंत बनी रहे।

संदर्भ सूची :

1. खेतान तरुणाभ, हम भारत के लोग, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
2. बरनवाल अनूप, भारतीय संविधान की निर्माण यात्रा,लोकभारती, इलाहाबाद
3. बसु, डी.डी., भारतीय संविधान, ईस्टर्न बुक कंपनी, नई दिल्ली
4. हाबर्मास, युर्गेन,The Structural Transformation of the Public Sphere.
5. मिश्र रवीन्द्रनाथ, मीडिया और लोकतंत्र, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

•